

प्रेस विज्ञाप्ति दिनांक 29—05—2021

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध की गई

कार्यवाही:-

अवगत कराना हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी को अपने—अपने क्षेत्रों में बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश पूर्व में दिये गये हैं। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण एवं समस्त क्षेत्राधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारियों द्वारा अपने—अपने नगर/ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाते हुये बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घूम रहे व्यक्तियों के चालान किये गये तथा भारी मात्रा में सम्मन शुल्क वसूल किया गया। जनपद पुलिस द्वारा की गई कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् हैः—

नगर क्षेत्र/देहात क्षेत्र में की गई कार्यवाही का विवरण:-

- बिना मास्क के चालानः—139
- वसूला गया सम्मन शुल्कः—45250/- रुपये

नोट— जनपदवासियों से अपील की जाती है कि जब भी घर से निकलें मास्क का प्रयोग अवश्य करें अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

प्रेस नोट दिनांक 29—05—2021

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब की कसीदगी करते समय 01 अभियुक्त गिरफ्तार, मौके से 200 लीटर अवैध कच्ची शराब, 500 लीटर लहन (मौके पर नष्ट) व शराब बनाने

के उपकरण / भट्टी बरामदः—

अवगत कराना हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अवैध शराब का निर्माण एवं बिक्री करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 28—05—2021 को थाना नानौता पुलिस द्वारा जंगल ग्राम भनेड़ा खेमचन्द में शराब की कसीदगी करते समय 01 अभियुक्त ज्ञान सिंह पुत्र नकली निवासी भनेड़ा खेमचन्द थाना नानौता, सहारनपुर को मौके से 200 लीटर अवैध कच्ची शराब, 500 लीटर लहन (मौके पर नष्ट) व शराब बनाने के उपकरण / भट्टी सहित समय 21:15 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई हैं। जबकि गिरफ्तार अभियुक्त का एक अन्य साथी मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 159 / 2021 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:—

1— ज्ञान सिंह पुत्र नकली निवासी भनेड़ा खेमचन्द थाना नानौता, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:—

1—200 लीटर अवैध कच्ची शराब।

2—500 लीटर लहन (मौके पर नष्ट)।

3—झम, पतीला, पाइप।

4—ढक्कन आदि भट्टी उपकरण।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:—

1—श्री शोबीर नागर, थानाध्यक्ष नानौता, सहारनपुर।

2—उ0नि0 श्री आजाद सिंह, थाना नानौता, सहारनपुर।

3—है0का0 82 संजीव कुमार, थाना नानौता, सहारनपुर।

4—है0का0 592 विजय कुमार, थाना नानौता, सहारनपुर।

5—है0का0 49 मुनेशपाल, थाना नानौता, सहारनपुर।

6—का0 645 प्रमोद कुमार, थाना नानौता, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 29/05/21 थाना नकुड जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशों निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति/वांछितों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत SSI/IC श्री सतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड पुलिस द्वारा आज दिनांक 29/05/21 को अभियान को गिरफ्तार कर मार्ग न्यायालय के समक्ष भेजा गया है।

- व0उ0नि0 सतीश कुमार मय SI मुकेश कुमार मय हमराही HC 343 महेशचन्द का0 795 रवि पंवार का0 1904 मोनित राणा मय अस्लाह व कार0 मय गाड़ी सरकारी बुलैरो चालक HG 1763 पहल सिंह द्वारा 2 नफर अभियान 1.आजाद पुत्र हनीफ निवासी ग्राम सिरवडडा थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार 2. दानिश पुत्र शौकत निवासी ग्राम भैवरपुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार संबंधित मु0अ0स0 198/2021 धारा 307/414/465/34 IPC को विश्वकर्मा चौके के पास से मय एक अदद तमंचा 12 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा मय 01 खोखा कारतूस मय एक अदद चाकू मय एक पिकअप महेन्द्रा मय चार रास गाय मय एक मोटर साईकिल के व अभियान 3.आदेश पुत्र जयकुमार निवासी ग्राम कुल्हेडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर संबंधित मु0अ0स0 196/2021 धारा 63/72 EX ACT मय 18 बोतल देशी शराब रसीला सन्तरा हरियाणा मार्क मय मोटर साईकिल के कुल्हेडी तिराहा नकुड गंगोह रोड सहारनपुर से दिनांक 29/05/21 को गिरफ्तार कर मार्ग न्याया के समक्ष भेजा गया।

अभियान का नाम व पता:-

- आजाद पुत्र हनीफ निवासी ग्राम सिरवडडा थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार
- दानिश पुत्र शौकत निवासी ग्राम भैवरपुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार
- आदेश पुत्र जयकुमार निवासी ग्राम कुल्हेडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- SSI/IC श्री सतीश कुमार
- उ0नि0 श्री मुकेश कुमार
- है0का0 343 महेशचन्द
- का0 795 रवि पंवार
- का0 1904 मोनित राणा



प्रेस नोट दिनांक 29—05—2021

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अवैध शराब खाम सहित 01 अभियुक्त गिरफतार :-

दिनांक 28—05—2021 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा जंगल ग्राम कुरड़ी निकट गोगा माढी से अभि० रवि उर्फ जंगली पुत्र काला निकट ग्राम कुरड़ी थाना देवबन्द, सहारनपुर को 10 लीटर शराब खाम व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफतार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं० 312/21 धारा 60(2) आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 02 अभियुक्त गिरफतार :-

दिनांक 28—05—2021 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा ग्राम गन्देवडा अडडे के पास से अभि० 1—मुस्तकीम पुत्र युसुफ व 2—फैजान पुत्र अख्तर निवासी ग्राम गन्देवडा थाना फतेहपुर, सहारनपुर को 01—01 नाजायज चाकू सहित गिरफतार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं० 249,250/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना बेहट पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफतार :-

दिनांक 28—05—2021 को थाना बेहट पुलिस द्वारा पठानपुरा मोड कस्बा व थाना बेहट से अभि० मुबारिक पुत्र इलियास निवासी पठानपुरा थाना बेहट, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफतार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं० 254/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना सरसावा पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफतार :-

दिनांक 28—05—2021 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा ग्राम अगवानहेड़ा पुलिया के पास से अभि० आशिक पुत्र शमशाद निवासी जुडडी थाना नकुड़, सहारनपुर को 01 प्लास्टिक की जरी कैन में 20 लीटर देशी रंगीन अवैध शराब सहित गिरफतार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं० 163/21 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना सरसावा पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफतार :-

दिनांक 28—05—2021 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा रायपुर रोड सरसावा से अभि० नफीस पुत्र मुन्ना निवासी मौ० मिधारन कस्बा व थाना सरसावा, सहारनपुर को 01 प्लास्टिक की जरी कैन में 20 लीटर देशी रंगीन अवैध शराब सहित गिरफतार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं० 164/21 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना सरसावा पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफतार :-

दिनांक 28—05—2021 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा प्रा० स्कूल के ग्राम अपलाना से अभि० जावेद पुत्र इम्तयाज निवासी ग्राम समसपुर कला थाना सरसावा, सहारनपुर को 01 प्लास्टिक की जरी कैन में 20 लीटर देशी कच्ची अवैध शराब सहित गिरफतार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं० 165/21 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफतार :-

दिनांक 28—05—2021 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा बैंगनी से आगे घोड़ो पीपली जाने वाला रास्ता से अभि० 1—अरुण कुमार पुत्र रूप सिंह व 2—विक्रम सिंह पुत्र श्रवण कुमार निवासी ग्राम पावली कलां थाना छाप्पर जिला यमुना नगर हरियाणा को 12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का मय बिना नम्बर की मोटर साईकिल सहित गिरफतार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं० 142/21 धारा 63/72 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 28-05-2021 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा नोगजा पुल के कोने पर गागलहेडी की ओर से अभियुक्त कुमार पुत्र वेदप्रकाश निवासी कुम्हारहेडा थाना गागलहेडी, सहारनपुर को 21 पव्वे देशी शराब मिश्र रंगीली यूपी मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मुआओसं 154/21 धारा 60 आबकारी अधियोग पंजीकृत किया गया।

मीडिया/सोशल मीडिया सेल
सहारनपुर।